न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : सुप्रिया (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 263/2022 (पुराना 17/2020)

वाद दायरी दिनांक :– 11.02.2020

1. कान सिंह पुत्र धुकलसिंह जाति राजपुत निवासी वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं। मृतक
   1/1. सन्तोष कवंर पत्नी कानसिंह राजपूत निवासी वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
   2/1. गोकुल सिंह पुत्र कानसिंह राजपूत निवासी वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
   3/1. सुनीता कवंर पुत्री कानसिंह राजपूत निवासी वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।

वादी

वनाम

1. शिशराम पत्र हुक्माराम जाति जाट निवासी श्योपुरा तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार मण्डावा

प्रतिवादीगण

वकील वादी – श्री रणजीत सिंह एडवाकेट

दावा बाबत घोषणार्थ, विभाजन

निर्णय

निर्णय दिनांक 04.07.24

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके वाहिदपुरा में गत ख.न. 354/1/5 तादादी 7 बीघा 6 बिश्वा भूमि अवस्थित है। इस भूमि में से 02 बीघा 13 बिश्वा पुख्ता प्रतिवादी न0 01 ने जरिये बयनामा खातेदार से खरीदी थी व प्रतिवादी न0 01 के पिता हुक्माराम ने 1 बीघा भूमि जरिये बयनामा खातेदार से खरीदी थी व वाद में उक्त प्रतिवादी स. 1 शीशराम व प्रतिवादी संख्या 01 के पिता हुक्माररराम ने अपनी खरीद शुदा भूमि का बेचान वादी की माता श्रीमति फलकंवर पत्नी धुकलसिंह राजपूत निवासी वाहिदपुरा को जरिये बयनामा बेचान करवा दिया व प्रतिफल प्राप्त कर लिया व बयनामा उप पजींयक झुंझुनूं के यहां दिनांक 20.08.1997 को करवा दिया व भूमि जैर बहस पर वादी की माता श्रीमती फूलकंवर का कब्जा करवा दिया व प्रतिफल प्राप्त कर लिया व बयनामा दर्ज करवा दिया कि हमारी परिवार की जायज जरूरतों पुरा करने लिये बेचान

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

किया है व बयनामा के राज दिनांक 20.08.97 से वादी की माता श्रीमती फलकवंर का कब्जा लगातार जीवन प्रयन्त चला आ रहा है व वादी की माता के देहान्त के बाद में वादी का कब्जा चला आ रहा है। वादी की माता श्रीमती फुलकवंर का देहान्त दिनांक 13.03.2000 को वाके ग्राम वाहिदपुरा में हो गया है, वादी के पिता व स्व0 फलकंवर के पति धोकलसिंह का देहान्त पहले हो चुका है, । वादी की माता ने भूमि प्रतिवादी न0 01 शिशराम व उक्त शिशराम के पिता हुक्माराम से खरीदी थी, उक्त हुक्माराम का देहान्त हो गया व भूमि जेर बहस तक अकेले प्रतिवादी के नाम से दर्ज है। अव नये सैटलमैन्ट में गत ख.न. 354/1/5 तदादी 1.00 है. व ख.न. 857 तादादी 0.85 हैक्टर हो गये। उक्त भूमि में से ही वादी 03 बीघा 13बिश्वा भूमि खरीदी हुई है जिस पर वादी का कब्जा काश्त बयनामें के रोज से ही बिना किसी अवरोध के चलता आ रहा है। अतः वाके ग्राम वाहिदपुरा के भूमि गत खसरा न0 354/1/5 तदादी 07 बीघा 6 बिश्वा भूमि जिसके हाल ख.न. 856 रकवा 1.00 हैक्टर, व ख.न. 857 रकबा 0.85 है0 में से वादी को 03 बीघा 13 बिश्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा भूमि का बंटवारा किये जाने के आदेश फरमावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रतिवादीगण 01 ओर से अभिभाषक उपस्थित हुआ। प्रतिवादी न0 01 को जबाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जबाब पेश नहीं करने पर दिनांक 13.09.2021 के जबाब बन्द किया गया । प्रतिवादी न0 02 की ओर से राजकीय अभिभाषक द्वारा आदेशिका पर " राजस्व रिकार्ड के अनुसार व विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किया जा सकता हो व राजस्व हानि न हो तो कोई एतराज नहीं " की टिप्पणी अंकित की गई।

प्रतिवादी न0 01 का जबाब दावा बन्द किया जा चका है तथा प्रतिवादी न0 02 द्वारा कोई आपती पेश नही करने पर वाद में तनकी (ISSUES) कायम नही की गई।

वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेत प्रर्दश–1 जमाबन्दी सम्वत 2074–2077,, प्रर्दश–2 मूल विक्रय पत्र दिनांक 20.08.1997, प्रर्दश–3 मिलान क्षेत्रफल, प्रर्दश–4 जमाबन्दी सम्वत 2058–61, प्रर्दश 5 जमावन्दी सम्वत 2065–68 पेश किये गये।

जवाब देही पूर्व होने पर विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त वाके ग्राम वाहिदपुरा के भूमि गत खसरा न0 354/1/5 तदादी 07 बीघा 6 विश्वा भूमि जिसके हाल ख.न. 856 रकबा 1.00

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

हैक्टर, व ख.न. 857 रकबा 0.85 है0 में से वादी को 03 बीघा 13 बिश्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा भूमि का बंटवारा किये जाने का निवेदन किया।

विधि में भूमि के विभाजन व घोषणा के लिये निम्न प्रावधान है :–

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 में भूमि क्षेत्र के विभाजन तथा धारा 88 में अधिकारों की घोषणा का प्रावधान किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि में वादी के पिता के द्वारा प्रतिवादी न0 01 के पिता एवं प्रतिवादी न0 01 से जरिये विक्रय पत्र दिनांक 20.08.1997 से क्रय किया जाना साबित है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं समस्त तथ्यों, उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम वाहिदपुरा के भूमि गत खसरा न0 354/1/5 तदादी 07 बीघा 6 बिश्वा भूमि जिसके हाल ख.न. 856 रकबा 1.00 हैक्टर, व ख.न. 857 रकबा 0.85 है0 में से वादी को 03 बीघा 13 बिश्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता वदस्तुर रहेगा। तदनुसार घोषणा मुताबिक अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.07.24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुप्रिया)
उपखण्ड अधिकारी,
मण्डावा

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मण्डावा जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारीः—सुप्रिया

(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ

अन्तिम वाद डिकी

मुकदमा नम्बर :— 263 / 2022 (कान सिंह बनाम शीशराम वगैरह)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूवरू, सुप्रिया (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूवरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 04.07.2024 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम वाहिदपुरा के भूमि गत खसरा न0 354 / 1 / 5 तदादी 07 बीघा 6 बिश्वा भूमि जिसके हाल ख.न. 856 रकबा 1.00 हेक्टर, व ख.न. 857 रकबा 0.85 हे0 में से वादी को 03 बीघा 13 बिश्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 04.07. 2024को जारी की गई।

सुप्रिया (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा